

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 301   | महासमुन्द   | श्री भारत सिंह साहू      | प्राचार्य                    | शास.हाई स्कूल लाफिनखुर्द      | शास.हाई स्कूल लाफिनखुर्द                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 302   | रायपुर      | श्रीमती सीमा हिरवानी     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. सेजबहार          | शास.उ.मा.वि.सेजबहार                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम       | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                              | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 303   | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | श्री पुरुषोत्तम प्रसाद जायसवाल | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. बिलाईगढ़       | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. बिलाईगढ़              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 304   | महासमुन्द   | सुश्री कमलेश्वरी साहू    | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. भोरिंग जिला महासमुन्द | शास.उ.मा.वि. भोरिंग जिला महासमुन्द                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम  | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                         | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 305   | महासमुन्द   | सुश्री विजय लक्ष्मी सिदार | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. झलप              | शास.उ.मा.वि. झलप                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 306   | ब.बा.<br>—भाटापारा | श्री प्रमेन्द्र वर्मा    | प्राचार्य                    | शा.उच्च.मा.वि.<br>(सेजेस) छेरकापुर | प्रतिनियुक्ति पर,<br>सेजेस शा.उच्च.मा.वि.<br>छेरकापुर  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 307   | महासमुन्द   | श्री सुशील कुमार सेठ     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.<br>भोथलडीह       | शास.उ.मा.वि.<br>भोथलडीह                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

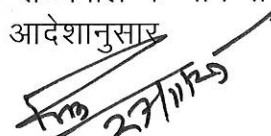
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 308   | रायपुर      | श्री अजीत कुमार एक्का    | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.सिवनी             | शास.उ.मा.वि.सिवनी                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 309   | ब.बा.<br>-भाटापारा | श्री नरसिंह<br>लाल दिव्य | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि<br>गिरौदपुरी      | शास.उ.मा.वि<br>गिरौदपुरी                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 310   | महासमुन्द   | श्री विजय कुमार दीवान    | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. कोल्दा           | शास.उ.मा.वि. कोल्दा                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 311   | बेमेतरा     | श्री गणेशदास कुर्रे      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.बहेरा              | शा.उ.मा.वि.बहेरा                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 312   | बेमेतरा     | श्री मनमोहन अग्रवाल      | प्राचार्य                    | शा.बा.उ.मा.वि.बेमेतरा         | शा.बा.उ.मा.वि.बेमेतरा                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 313   | खै.छु.गं    | श्री ओमप्रकाश सोनी       | प्राचार्य                    | शासकीय हाईस्कूल भरदाकला       | शासकीय हाईस्कूल भरदाकला                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 314   | दुर्ग       | श्री पन्ना लाल साहू      | प्राचार्य                    | सेजेस उ.मा.वि. अहिंवारा       | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि. अहिंवारा              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(आर.पी.वमा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम     | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                            | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 315   | रायपुर      | श्री खिलेश्वर प्रसाद जायसवाल | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.असौदा             | शास.उ.मा.वि.असौदा                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 316   | खै.छु.गं    | श्री अनिल पाल            | प्राचार्य                    | शा.कन्या उ.मा.वि.<br>छुईखदान  | शा.कन्या उ.मा.वि.<br>छुईखदान                           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

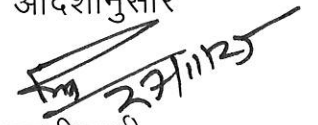
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 317   | रायगढ़      | श्रीमती सविता सिंह       | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.तरकेला            | शास.उ.मा.वि.तरकेला                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 318   | रायगढ़      | श्री चूड़ामणी पटेल       | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. कोतरलिया         | शास.उ.मा.वि. कोतरलिया                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 319   | रायगढ़      | श्रीमती कुमुदिनी चौहान   | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. बड़ेभझण्डार      | शास.उ.मा.वि. बड़ेभझण्डार                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                              | 6                                                      |
| 320   | कबीरधाम     | श्री ओमप्रकाश वर्मा      | प्राचार्य                    | शास0 हाईसेकेण्डरी स्कूल बम्हनी | शास0 हाईसेकेण्डरी स्कूल बम्हनी                         |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 321   | कबीरधाम     | श्री नशेमुद्दीन कुरैशी   | प्राचार्य                    | शास0हाईस्कूल खड़ौदा खुर्द     | शास0हाईस्कूल खड़ौदा खुर्द                              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम  | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                         | 4                            | 5                              | 6                                                      |
| 322   | कबीरधाम     | श्री विरेन्द्र सिंह ठाकुर | प्राचार्य                    | शास0 हाई स्कूल मिनमिनिया मैदान | शास0 हाई स्कूल मिनमिनिया मैदान                         |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम   | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                               | 6                                                      |
| 323   | कबीरधाम     | श्री रविन्द्र चंद्रवंशी  | प्राचार्य                    | शास0 हाईसेकेण्डरी स्कूल बिरकोना | शास0 हाईसेकेण्डरी स्कूल बिरकोना                        |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                              | 6                                                      |
| 324   | कबीरधाम     | श्रीमती सलमा कुरैशी      | प्राचार्य                    | शा0उच्च0मा0विद्या0 उड़ियाखुर्द | शा0उच्च0मा0विद्या0 उड़ियाखुर्द                         |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 325   | कबीरधाम     | श्री देवराज सिंह उईके    | प्राचार्य                    | शास0उ0मा0शाला रणवीरपुर        | शास0उ0मा0शाला रणवीरपुर                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 326   | कबीरधाम     | श्री अरूणाभ झा           | प्राचार्य                    | शास0हाईस्कूल धमकी             | शास0हाईस्कूल धमकी                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                              | 6                                                      |
| 327   | कबीरधाम     | श्री अनिल कुमार महोबे    | प्राचार्य                    | शा0उच्च0मा0विद्या0<br>सिल्हाटी | शा0उच्च0मा0विद्या0<br>सिल्हाटी                         |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

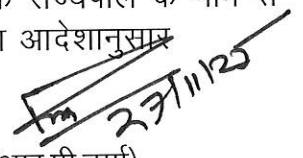
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम           | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                       | 6                                                      |
| 328   | राजनांदगांव | भुवाल जी साहू            | प्राचार्य                    | शा.हाईस्कूल भण्डारपुर, जिला-राजनांदगांव | शा.हाईस्कूल भण्डारपुर, जिला-राजनांदगांव                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम        | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                    | 6                                                      |
| 329   | राजनांदगांव | मीरा सोनी                | प्राचार्य                    | शा.हाईस्कूल अंजोरा, जिला राजनांदगांव | शा.हाईस्कूल अंजोरा, जिला राजनांदगांव                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                            | 6                                                      |
| 330   | राजनांदगांव | श्री दिलीप कुमार वर्मा   | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.स्टेशन मुढ़ीपार, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि.स्टेशन मुढ़ीपार, जिला राजनांदगांव           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 331   | खै.छु.गं    | श्री कमलेश कुमार साहू    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. पाड़ादाह          | शा.उ.मा.वि. पाड़ादाह                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम   | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                 | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                          | 4                            | 5                                             | 6                                                      |
| 332   | राजनांदगांव | श्री चितेन्द्र कुमार वर्मा | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.<br>झिथराटोला, जिला<br>राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि.<br>झिथराटोला, जिला<br>राजनांदगांव          |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्र. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम           | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                        | 4                            | 5                                       | 6                                                      |
| 333  | राजनांदगांव | श्री महेश कुमार बोरकर    | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. आमगांव कु, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि. आमगांव कु, जिला राजनांदगांव                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                            | 6                                                      |
| 334   | राजनांदगांव | कंचन बाला सुखदेव         | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.<br>डीलापहरी, जिला<br>राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि.<br>डीलापहरी, जिला<br>राजनांदगांव           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्र. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                        | 4                            | 5                                            | 6                                                      |
| 335  | राजनांदगांव | वंदना चौरे               | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.शाला<br>बोरतलाब, जिला<br>राजनांदगांव | शा.उ.मा.शाला<br>बोरतलाब, जिला<br>राजनांदगांव           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम       | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                   | 6                                                      |
| 336   | राजनांदगांव | सविता अवस्थी             | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. सोमनी, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि. सोमनी, जिला राजनांदगांव                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 337   | खै.छु.गं    | श्री रतनदास बंजारे       | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. मुढ़ीपार          | शा.उ.मा.वि. मुढ़ीपार                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम        | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                    | 6                                                      |
| 338   | राजनांदगांव | श्री गुमान सिंह          | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. खुज्जी, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि. खुज्जी, जिला राजनांदगांव                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम         | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                     | 6                                                      |
| 339   | राजनांदगांव | श्री धरमचंद जैन          | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. टेडेसरा, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि. टेडेसरा, जिला राजनांदगांव                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम       | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                   | 6                                                      |
| 340   | राजनांदगांव | डॉ० कुसुम ठाकुर          | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. किरगी, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि. किरगी, जिला राजनांदगांव                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम   | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                          | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 341   | खै.छु.गं    | श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. अतरिया बाजार      | शा.उ.मा.वि. अतरिया बाजार                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम          | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                      | 6                                                      |
| 342   | राजनांदगांव | श्री जितेन्द्र बोरकर     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. भेड़ीकला, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि. भेड़ीकला, जिला राजनांदगांव                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 343   | खै.छु.गं    | श्री चिंता राम श्रीवास   | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. बुन्देली          | शा.उ.मा.वि. बुन्देली                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्र. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम             | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                        | 4                            | 5                                         | 6                                                      |
| 344  | राजनांदगांव | श्री मनोज कुमार चंद्राकर | प्राचार्य                    | शा.हाईस्कूल चारभांठा कु, जिला राजनांदगांव | शा.हाईस्कूल चारभांठा कु, जिला राजनांदगांव              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 345   | दुर्ग       | श्रीमती माया देवांगन     | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. जरवाय             | शा.उ.मा.वि. जरवाय                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 346   | दुर्ग       | श्री के. रमेश कुमार      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. कुरुद             | शा.उ.मा.वि. कुरुद                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                          | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम                    |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                      | 6                                                                         |
| 347   | बेमेतरा     | श्रीमती सुषमा खंडेलवाल   | प्राचार्य                    | स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उ.मा.वि. विद्यालय थानखम्हरिया | प्रतिनियुक्ति पर, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उ. मा.वि. विद्यालय थानखम्हरिया |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 348   | दुर्ग       | श्री जोगेन्दर सिंह खनिजो | प्राचार्य                    | शा.बा.उ.मा.वि. धमधा           | शा.बा.उ.मा.वि. धमधा                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                            | 6                                                      |
| 349   | राजनांदगांव | श्री धनसाय चंदन          | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. मुढ़िया मोहारा, जिला राजनांदगांव | शा.उ.मा.वि. मुढ़िया मोहारा, जिला राजनांदगांव           |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 350   | धमतरी       | ज्योति बघेल              | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.भेण्डरी            | शा.उ.मा.वि.भेण्डरी                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 351   | रायपुर      | श्री शेखर प्रसाद साव     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. मानिकचौरी        | शास.उ.मा.वि. मानिकचौरी                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 352   | धमतरी       | श्रीमती सीमा कटारे       | प्राचार्य                    | श.उ.मा.वि.दरबा                | श.उ.मा.वि.दरबा                                         |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 353   | रायपुर      | सुश्री कल्पना तिवारी     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.परसदा             | शास.उ.मा.वि.परसदा                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                 | 6                                                      |
| 354   | महासमुन्द   | श्री शशी कुमार साहू      | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. खट्टी जिला महासमुन्द | शास.उ.मा.वि. खट्टी जिला महासमुन्द                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

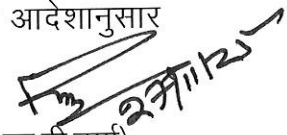
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                 | 6                                                      |
| 355   | महासमुन्द   | श्री छन्नू लाल साहू      | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.नरतौरा जिला महासमुन्द | शास.उ.मा.वि.नरतौरा जिला महासमुन्द                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo.ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 356   | रायपुर      | श्री अशोक कुमार कोशले    | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.पचरी              | शास.उ.मा.वि.पचरी                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम     | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2               | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 357   | ब.बा. -भाटापारा | श्री चन्द्रकुमार नायक    | प्राचार्य                    | सेजेस शास.उ.मा.वि. हथबंद      | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस शास.उ.मा.वि. हथबंद             |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|--------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 358   | ब.बा.<br>-भाटापारा | श्री संजय<br>श्रीवास्तव  | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि.दामाखेड़ा          | शा.उ.मा.वि.दामाखेड़ा                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम      | पदोन्नत प्राचार्य का नाम     | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                | 3                            | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 359   | सारंगढ़ बिलाईगढ़ | श्री हरेन्द्र कुमार शांडिल्य | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. खुरसूला          | शास.उ.मा.वि. खुरसूला                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम             | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                         | 6                                                      |
| 360   | महासमुन्द   | श्री दिलीप कुमार नायक    | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि.कन्या सरायपाली जिला महासमुन्द | शास.उ.मा.वि.कन्या सरायपाली जिला महासमुन्द              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 361   | सक्ती       | श्री ऋषिकेश गुप्ता       | प्राचार्य                    | शा.बा.उ.मा.वि. बाराद्वार      | शा.बा.उ.मा.वि. बाराद्वार                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 362   | कबीरधाम     | श्री रामप्रसाद पैकरा     | प्राचार्य                    | शास.हाई स्कूल परसवारा         | शास.हाई स्कूल परसवारा                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 363   | बिलासपुर    | श्री तोषण प्रसाद गुप्ता  | प्राचार्य                    | इशा.उ.मा.वि डंगनिया, जिला बिलासपुर | इशा.उ.मा.वि डंगनिया, जिला बिलासपुर                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 364   | बिलासपुर    | डॉ. शैलेश चौबे           | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. जोंधरा            | शा.उ.मा.वि. जोंधरा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम               | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                           | 6                                                      |
| 365   | दुर्ग       | श्री अनिल शुक्ला         | प्राचार्य                    | पू.मा.वि. तकियापारा (शा.उ.मा.वि. तकियापारा) | शा.उ.मा.वि. तकियापारा                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:—

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम          | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                      | 6                                                      |
| 366   | बिलासपुर    | श्रीमती मानकुंवर मरकाम   | प्राचार्य                    | शा.पूर्व मा.शाला बेलतरा, जिला बिलासपुर | शा.उ.मा.वि. बेलतरा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम     | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम    | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम                         |
|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                            | 4                            | 5                                | 6                                                                              |
| 367   | रायपुर      | श्री बिरेन्द्र कुमार अग्रवाल | प्राचार्य                    | शास.पूर्व माध्यमिक शाला निवेदिता | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस निवेदिता शा.अंग्रेजी मा. उ.मा.वि. गुरुनानक चौक, रायपुर |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                 | 6                                                      |
| 368   | बेमेतरा     | श्री रमेश कुमार तिवारी   | प्राचार्य                    | पू.मा.शा. जेवरी (उ. मा.वि. जेवरी) | शा.उ.मा.वि. जेवरी                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 369   | बेमेतरा     | डा. बसुबन्धु दीवान       | सहायक प्राध्यापक             | जिला शिक्षा प्रशि. संस्थान बेमेतरा | प्रतिनियुक्ति पर, जिला शिक्षा प्रशि. संस्थान बेमेतरा   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                              | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम  |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                          | 6                                                       |
| 370   | बेमेतरा     | श्री रोहित कुमार वर्मा   | प्राचार्य                    | पू.मा.शा. मोहगांव (सेजेस उ.मा.वि. हिन्दी/अंग्रेजी मोहगांव) | प्रतिनियुक्ति पर, सेजेस उ.मा.वि.हिन्दी/अंग्रेजी मोहगांव |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम         | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                     | 6                                                      |
| 371   | बेमेटरा     | श्री भेखदास बघेल         | प्राचार्य                    | पू.मा.शा. भरदाकला (हाई स्कूल भरदाकला) | शा.हाई स्कूल भरदाकला                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

-: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम             | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                         | 6                                                      |
| 372   | बेमेतरा     | श्री भगवान सिंह ठाकुर    | प्राचार्य                    | पू.मा.शा. चेचानमेंटा (उ.मा.वि.चेचानमेंटा) | शा.उ.मा.वि.चेचानमेंटा                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                    | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                | 6                                                      |
| 373   | बेमेतरा     | श्रीमती सध्या दीपक       | प्राचार्य                    | पू.मा.शा.क. थानखम्हरिया (उ.मा. वि.क.थानखम्हरिया) | शा.उ.मा.वि.क. थानखम्हरिया                              |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                              | 6                                                      |
| 374   | बालोद       | श्री कमलेश कुमार साहू    | प्राचार्य                    | शास.पू.मा.शाला धानापुरी (शा.उ.मा.वि. धानापुरी) | शा.उ.मा.वि.धानापुरी                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                            | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                        | 6                                                      |
| 375   | बालोद       | श्री ईश्वर प्रसाद दुबे   | प्राचार्य                    | शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भण्डेरा (शा.उ.मा.वि. भण्डेरा) | शा.उ.मा.वि.भण्डेरा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                   | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                               | 6                                                      |
| 376   | बालोद       | श्रीमती हेमलता गंगबेर    | प्राचार्य                    | शा.पू.मा.शा. कन्या बालोद (शा.क.उ.मा. शा. बालोद) | शा.क.उ.मा.शा. बालोद                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम   | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                                  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                          | 4                            | 5                                                              | 6                                                      |
| 377   | दुर्ग       | श्री लक्ष्मण कुमार देवांगन | प्राचार्य                    | पू.मा.वि. पंढडोर (पाटन)<br>(शा0उ0मा0वि0पंढडोर में संलग्न शाला) | शा.उ.मा.वि.पंढडोर                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                                    | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                                | 6                                                      |
| 378   | बालोद       | श्री ढालसिंह कुंजाम      | प्राचार्य                    | शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बड़ाजुगेरा (शा.हाई स्कूल बड़ाजुगेरा ) | शा.हाई स्कूल बड़ाजुगेरा                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम            | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                        | 6                                                      |
| 379   | बालोद       | श्री रिखी राम ठाकुर      | प्राचार्य                    | शा.पू.मा.शा. अमलीडीह (हाई स्कूल अमलीडीह) | शा.हाई स्कूल अमलीडीह                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम    | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                | 6                                                      |
| 380   | रायपुर      | श्री रुद्र कुमार वर्मा   | प्राचार्य                    | शास.पूर्व माध्य.शाला तुलसी नेवरा | शा.हाई स्कूल तुलसी नेवरा                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम   | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                          | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 381   | रायपुर      | श्री डेकेश्वर प्रसाद वर्मा | सहायक प्राध्यापक             | एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर         | प्रतिनियुक्ति पर, एस. सी.ई.आर.टी. रायपुर               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 382   | रायपुर      | श्री अनुराग ओझा          | प्राचार्य                    | शास.हाईस्कूल उरला             | शास.हाईस्कूल उरला                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 383   | रायपुर      | श्री संदीप शर्मा         | प्राचार्य के समकक्ष पद पर    | छ.ग.ओपन स्कूल रायपुर          | प्रतिनियुक्ति पर छ.ग. ओपन स्कूल रायपुर                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम    | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                           | 4                            | 5                              | 6                                                      |
| 384   | रायपुर      | श्री अजेन्द्र कुमार देवांगन | प्राचार्य                    | शास.पूर्व माध्य.शाला सोनडोंगरी | शास.हाईस्कूल सोनडोंगरी                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम  | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                              | 6                                                      |
| 385   | रायपुर      | श्री प्रवीण कुमार झा     | प्राचार्य                    | शास.पूर्व माध्य.शाला बोरियाकला | शास.उ.मा.वि. बोरियाकला                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

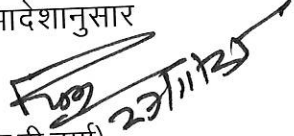
अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।  
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 386   | रायपुर      | श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा | प्राचार्य                    | इशास.पूर्व माध्य.शाला किरना   | शास.उ.मा.वि.किरना                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।  
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 387   | रायपुर      | श्री चंद्रहास सेन        | प्राचार्य                    | शास.हाईस्कूल परसकोल           | शास.हाईस्कूल परसकोल                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 388   | रायपुर      | श्रीराम साहू             | प्राचार्य                    | शास.पूर्व माध्य.शाला हीरापुर  | शा.उ.मा.वि. हीरापुर                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।  
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम        | पदोन्नत प्राचार्य का नाम    | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                           | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 389   | ब.बा.<br>-भाटापारा | श्री कमलेश्वर<br>प्रसाद राय | प्राचार्य                    | शा.पूर्व मा.शा.मोहरा          | शा.उ.मा.वि. मोहरा                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                 | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                             | 6                                                      |
| 390   | महासमुन्द   | श्री प्रेमलाल गहिरवारे   | प्राचार्य                    | शासकीय हाई स्कूल अछोला (शा.पू.मा. शाला अछोला) | शासकीय हाई स्कूल अछोला                                 |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 391   | रायपुर      | कुमारी शोभागुनी एक्का    | प्राचार्य                    | शास.हाईस्कूल भैंसा            | शास.हाईस्कूल भैंसा                                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                 | 6                                                      |
| 392   | रायपुर      | श्रीमती जानकी साहू       | प्राचार्य                    | शास.पूर्व माध्य.शाला बजरंग अभनपुर | श्री बजरंगदास शास.उ. मा.वि. अभनपुर                     |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 393   | रायपुर      | श्री घनश्याम प्रसाद चेलक | प्राचार्य                    | शास.पूर्व.माध्य.शाला पोड़     | शास.उ.मा.वि.पोड़                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम      | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                  | 6                                                      |
| 394   | धमतरी       | श्री पुनीत राम साहू      | प्राचार्य                    | शा.उ.मा.वि. दहदहा (शा.मा.शा.दहदहा) | शा.उ.मा.वि. दहदहा                                      |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम             | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                         | 6                                                      |
| 395   | धमतरी       | श्री विनोद कुमार ठाकुर   | प्राचार्य                    | शा.उ.मा. शाला पचपेड़ी (शा.मा. शा.पचपेड़ी) | शा.उ.मा. शाला पचपेड़ी                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

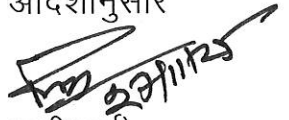
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम  | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                         | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 396   | धमतरी       | श्री बीरेन्द्र कुमार साहू | प्राचार्य                    | शा.पू.मा.शा.बा. मगरलोड        | शा.उ.मा.शा.बा.मगरलोड                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदानुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

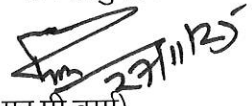
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 397   | रायपुर      | श्री नारायण प्रसाद साहू  | प्राचार्य                    | शास.पूर्व माध्य.शाला पारागांव | शा.हाई स्कूल पारागांव                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम            | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                        | 6                                                      |
| 398   | रायपुर      | श्री शिवपाल सिंह चंद्रा  | प्राचार्य                    | रानी दुर्गावती कन्या उ.मा.वि. मंदिर हसौद | रानी दुर्गावती कन्या उ.मा.वि. मंदिर हसौद               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashanna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 399   | रायपुर      | श्री प्रभुदयाल वर्मा     | प्राचार्य                    | शास.उ.मा.वि. सतभांवा          | शास.उ.मा.वि. सतभांवा                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

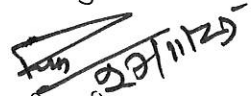
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम          | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                      | 6                                                      |
| 400   | कबीरधाम     | श्री संजीव कुमार वर्मा   | प्राचार्य                    | पू.मा.शाला सूखाताल (हाई स्कूल सूखाताल) | शा.हाई स्कूल सूखाताल                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम    | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम          | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                           | 4                            | 5                                      | 6                                                      |
| 401   | कबीरधाम     | श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव | प्राचार्य                    | पू0मा0शाा अमलीडीह (हाई स्कूल अमलीडीह ) | शा.हाई स्कूल अमलीडीह                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 402   | कबीरधाम     | श्री कांशीराम नेताम      | प्राचार्य                    | पू0मा0शा सिंघनगढ़             | शा.उ.मा.वि. सिंघनगढ़                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम   | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                          | 4                            | 5                             | 6                                                      |
| 403   | कबीरधाम     | श्री देवेन्द्र कुमार नेताम | प्राचार्य                    | पू0मा0शा बिरेन्द्रनगर         | शा.उ.मा.वि. बिरेन्द्रनगर                               |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यक्षीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

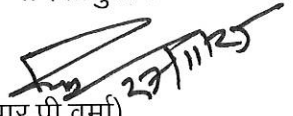
2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्र. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम               | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | 2           | 3                        | 4                            | 5                                           | 6                                                      |
| 404  | कबीरधाम     | श्री सुरेश कुमार मानकर   | प्राचार्य                    | पू0मा0शा0 सत्तीवार्ड (हाई स्कूल सत्तीवार्ड) | शा.हाई स्कूल सत्तीवार्ड                                |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.पी.वर्मा)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम       | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                   | 6                                                      |
| 405   | कबीरधाम     | श्री रामभरोसा सिंह ठाकुर | प्राचार्य                    | पू0मा0शा0 नेवारी (हाई स्कूल नेवारी) | शा.हाई स्कूल नेवारी                                    |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम         | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                     | 6                                                      |
| 406   | कबीरधाम     | श्री जोहनलाल श्रीवास     | प्राचार्य                    | पू0मा0शा0 कोसमंदा (हाई स्कूल कोसमंदा) | शा.हाई स्कूल कोसमंदा                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                 | 6                                                      |
| 407   | कबीरधाम     | श्री दयाशंकर साहू        | प्राचार्य                    | शास.पू.मा.शाला खैरबनाकला (शा.उ. मा.वि. खैरबनाकला) | शा.उ.मा.वि. खैरबनाकला                                  |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                     | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                 | 6                                                      |
| 408   | कबीरधाम     | श्री दीपक कुमार ठाकुर    | प्राचार्य                    | शास.पू.मा.शाला खैरझिटी पुराना (उमावि खैरझिटी पु0) | शा.उमावि खैरझिटी पु0                                   |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर  
cg.school.edu.dept@gmail.com

—: आदेश :—

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025  
क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीन:: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा 1478 व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया था, तदनुक्रम में पत्र क्रमांक FileNo..ESTB-102(2)338/2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01.08.2025 के द्वारा पदोन्नत प्राचार्यों के पदस्थापना की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

2/ राज्य शासन एतद् द्वारा प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पद पर पदोन्नत निम्नलिखित व्याख्याता/व्याख्याता (एलबी) एवं प्रधानपाठक (पू.मा.शाला) को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-06 में अंकित संस्था/कार्यालय में वेतनमान (15600-39100, ग्रेड वेतन 5400, वेतन मेट्रिक्स लेवल-12) में पदस्थ किया जाता है:-

| क्रं. | जिला का नाम | पदोन्नत प्राचार्य का नाम | पदोन्नति उपरांत पदांकन का पद | वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम                       | पदोन्नति उपरांत, नवीन पदस्थापना संस्था/कार्यालय का नाम |
|-------|-------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2           | 3                        | 4                            | 5                                                   | 6                                                      |
| 409   | राजनांदगांव | श्री गोपाल सिंह कोसमा    | प्राचार्य                    | पूर्व.मा.वि. महरूम, राजनांदगांव (शा.उ. मा.वि.महरूम) | शा.उ.मा.वि.महरूम                                       |

3/ उक्त पदोन्नति एवं पदस्थापना माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर में दायर याचिका W.P. (PIL) No-91/2019 S.Santosh Kumar Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं WPS No. 9778/2019 Vishnu Prashnna Tiwari Vs. State of Chhattisgarh & Other एवं अन्य याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।

4/ पदोन्नत प्राचार्यों को 07 दिवस के भीतर अपनी नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

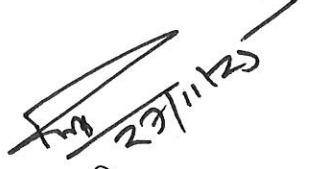
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-65/2024/20-तीनः  
प्रतिलिपि:-

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 27/11/2025

- 1/ प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 2/ निज सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 3/ मुख्य सचिव के अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर, अटल नगर।
- 4/ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर, अटल नगर।
- 5/ संचालक, लोक शिक्षण, छ.ग., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- 6/ संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर।
- 7/ प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छ.ग.रायपुर।
- 8/ समस्त कलेक्टर छ.ग.।
- 9/ समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, छ.ग.।
- 10/ प्राचार्य, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय रायपुर एवं शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, छ.ग.।
- 11/ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 12/ समस्त प्राचार्य डाइट/बाइट छ.ग.।
- 13/ समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.।
- 14/ समस्त संबंधित प्राचार्य शा.हाई स्कूल/उ.मा.वि.....छ.ग.।
- 15/ सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री/.....छ.ग.।
- 16/ गार्ड फाईल।  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग